



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1469]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 20, 2008/आश्विन 28, 1930

No. 1469]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2008/ASVINA 28, 1930

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2482(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि पशुधन आयात अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 28) द्वारा संशोधित किया जा चुका है, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची के अनुसार, केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारत में लिटोपिनियस वेन्नामई के आयात के लिए जलीय संगरोध के संचालन के तरीकों को विनियमित करते हुए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती है।

अनुसूची

1. संगरोध के लिए अपेक्षित जैव-सुरक्षा

- पशुओं एवं अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की रोकथाम करने के लिए संगरोध सुविधा में पर्याप्त ऊंचाई युक्त परिसरों के चारों ओर एक दीवार अथवा घेरा होना चाहिए। संगरोध के प्रत्येक कार्यरत एकक के पास स्वतंत्र वाटर ट्रीटमेंट सुविधा एवं जल आपूर्ति पद्धति होनी चाहिए तथा उसे अन्य कार्यरत एककों की जल आपूर्ति पद्धति से पृथक होना चाहिए।
- ऐसे वेक्टरों तथा पेथोजनों जो कि स्त्रोत जल में विद्यमान हो सकते हैं, की रोकथाम करने के लिए संगरोध के लिए जल को छाना जाए एवं उसका उपचार किया जाए। सब सैंड वेल पाइंटो, सैंड फिल्टरों (गुरुत्वाकर्षण अथवा दबाव) अथवा प्रथम जलाशय में मेश बैग फिल्टरों अथवा सेटालिंग टैंक के माध्यम से प्रारंभिक फिल्टरिंग द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। क्लोरीनेशन द्वारा प्राथमिक गैर-संक्रमण तथा निपटान के बाद, जल को पुनः फाइनर फिल्टर के साथ छाना जाए तथा उसके बाद अल्ट्रावाइलेट (यूवी) लाइट तथा/अथवा ओजोन का उपयोग करके उसे गैर-संक्रमित किया जाए।
- संगरोध से निकाले गए जल को निकालने से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (60 मिनट से अधिक > 20 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन) अथवा अन्य प्रभावी डिसइंफेक्टेंट के साथ अस्थायी रूप से रखा जाए एवं उसका उपचार किया जाए। यह विशेष रूप से वहां महत्वपूर्ण हो जाता है जहां जल को एक्सट्रैक्शन पाइंट वाले स्थान पर ही निकाला है।
- संगरोध क्षेत्र में प्रवृष्टि को उन कार्मिकों तक सीमित रखा जाए जो विशेष रूप से इस क्षेत्र में काम करते हैं तथा इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कार्मिकों के रिकार्ड का रख-रखाव सुरक्षा कार्मिकों द्वारा किया जाए।
- संगरोध एकक के कर्मचारी उस शॉवर/ड्रेसिंग रूम के माध्यम से प्रवेश करें जहां वे अपने स्ट्रीट कपड़े उतार दें तथा काम करने वाले कपड़ों एवं बूटों को पहनने के लिए एक दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले एक शॉवर ले लें। कार्यरत शिफ्ट के अंत में, क्रम को उलट दिया जाए।

- वाहन टायरों (प्रवेश द्वार (गेट) पर टायर बाथ) पैरों (>50 पी पी एम सक्रिय अवयव पर हाइपोक्लोराइट घोल से युक्त फूटबाथ) तथा हाथों (आयोडीन-पी वी पी (20 पी पी एम और/अथवा 70% अल्कोहल युक्त बौतलें) के गैर संक्रमण के लिए साधन प्रदत्त होने चाहिए जिनका उपयोग यूनिट में प्रवेश करने एवं बाहर आने में करना चाहिए।
- संगरोध सुविधा के अंदर बाहर झींगों की प्रभावी नित्यप्रति आवा-जाही को सुगम बनाने के लिए संगरोध में पर्याप्त संख्या में बर्तन उपलब्ध होने चाहिए।
- संगरोध सुविधा में पृथक उपचार एवं गैर-संक्रमण पद्धति के साथ जल एवं वायु की स्वतंत्र आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए एवं पर्यावरण में पैथोजनों के संभावित पलायन की रोकथाम करने के लिए इफ्लूएंट्स के उपचार के लिए एक पद्धति होनी चाहिए।
- सुविधा के लिए उपयोग किए जानेवाले सी वाटर की निकासी उस भंडारण टैंक में की जाए जहां इसका उपचार पी पी एम के लिए 1 (एक) पी पी एम हाइपोक्लोराइट घोल (कम से कम 30 मिनट तक 20 पी पी एम सक्रिय अवयव) के साथ तथा उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट (प्रति अपशिष्ट क्लोरीन) के साथ प्रबल एरेशन द्वारा किया जाएगा।
- उपयोग किए गए प्लास्टिक बर्तनों एवं होसेज को पुनः उपयोग से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (20 पीपीएम) से धोया एवं गैर-संक्रमित किया जाए।
- प्रत्येक होल्डिंग टैंक के पास उपकरणों का एक पृथक सेट होना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से मार्क किया जाए तथा टैंकों के नजदीक रखा जाए। प्रत्येक दिन के अंत में सभी उपकरण के लिए गैर-संक्रमण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

2.0 आयात परमिट एवं प्रवृष्टि संबंधी पत्तन

- योग्य अभ्यर्थियों को विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) एल. वन्नामई ब्रूडस्टाक की वार्षिक अपेक्षाओं के अनुसार तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा एल. वन्नामई के ब्रूडस्टाक को आयात करने संबंधी अनुमति दी जाएगी।
- आनुवांशिक आधार एवं रोग की स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के परामर्श से सी ए ए एस पी एफ एल. वन्नामई आपूर्ति कर्ताओं

की छटनी करेगा। मात्र ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से एस पी एफ ब्रूडस्टाक आयात करने की अनुमति मिलेगी।

- एस पी एफ ब्रूडस्टाक के आयात के लिए चेन्नई पदनामित प्रवृष्टि पत्तन होगा।

3.0 सीमा पूर्व संगरोध अपेक्षाएं

- निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाणपत्र मूल रूप में को एस पी एफ ब्रूडस्टाक की खेप के साथ होने चाहिए तथा खेप के आगमन से कम से कम दो दिन पहले प्रमाण पत्रों की प्रतियां संगरोध अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएं।

- झींगों में विशिष्ट पैथोजनों के सापेक्ष ब्रूडस्टाक की एसपीएफ स्थिति को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र।
- विगत दो वर्षों में निर्यातक की ब्रूडस्टाक प्रबर्धन सुविधा में रोग की घटनाओं के इतिहास को दर्शानेवाला प्रमाणपत्र
- यह दर्शाने वाला प्रमाणपत्र कि निर्यात किए गए ब्रूडस्टाक के बैच को 12 दिनों की अवधि के लिए पूर्व-संगरोध में रखा गया था तथा निम्नलिखित पैथोजनों के लिए जांचों के परिणाम को शामिल किया जाए।

1. टौरा सिंड्रोम वायरस (टीएसवी) (ओआईई सूचीबद्ध)
2. येल्लोहेड वायरस (वाईएचवी) (ओआईई सूचीबद्ध)
3. संक्रमण मायोनेक्रोसिस वायरस (आईएमएनवी) (ओआईई सूचीबद्ध)
4. संक्रमण हाइपोडर्मल एवं हिमेटोपोइटीक नेक्रोसिस वायरस (आईएचएचएनवी) (ओआईई सूचीबद्ध)
5. बैकुलोवायरस पेनई (बीपी) (ओआईई सूचीबद्ध)
6. व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (डब्ल्यूएसएसवी) (ओआईई सूचीबद्ध)
7. नेक्रोटाइजिंग हिपेटो पैन्क्राटाइटिस बैक्टेरियम अल्फा-प्रोटियोबेक्टेरियम (एनएचपीबी)¹

1. यह पैथोजीन इस समय ओआईई सूची में शामिल करने के लिए अध्ययन के अधीन है।

○ वास्तविक शिपमेंट से पहले जांच 10 दिनों से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए।

- शिपमेंट से पहले, आयात किए जाने वाले ब्रूडस्टॉक की वास्तविक मात्रा/संख्या को उन कार्टनों की संख्या को दर्शानेवाले पैकेज स्लिप के रूप में प्रस्तुत किए जाएं जिनमें उन्हें पैक किया गया है।

4.0 संगरोध की अपेक्षाएं

- पशु संगरोध अधिकारी को संबंधित कागजातों की प्रतियां प्रदान करके तथा कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग) द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करके आयातकर्ता अग्रिम रूप से संगरोध सुविधा में अपनी जगह बुक करें।
- हवाई अड्डे पर एस पी एफ ब्रूडस्टॉक की खेप को छुड़ाने की, संगरोध स्टाफ के साथ संगरोध सुविधा तक इसकी दुलाई, संगरोध सुविधा पर इसके रख-रखाव तथा पुनः पैकिंग तथा हैचरियों तक की आवाजाही की जिम्मेदारी आयातकों की होगी।
- किसी प्रकार की आकस्मिक क्षति को टालने के लिए पैकिंग सामग्री अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
- कार्टनों में एल वेन्नमेई के लिए विनिर्दिष्ट स्वीकार्य सघनता के अनुरूप स्थान होना चाहिए।
- खेप को बीच में किसी भी दुलाई केन्द्र पर खोला नहीं जाना चाहिए। यदि उसमें छेड़छाड़ पाया गया, तो संपूर्ण खेप को रद्द कर दिया जाएगा तथा जन्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा।
- आयातक खेप को केवल चेन्नई में प्राप्त करें।
- दुलाई के दौरान पानी के छलकने तथा कनस्तर को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरती जाए।
- दुलाई के दौरान किसी भी प्रकार के आकस्मिक रूप से पानी के छलकने की स्थिति में, आयातक ओ आई ई स्वीकृत विसंक्रमण प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए पानी की शुद्धता को सुनिश्चित करें।

- खेप के पहुंचने पर पशु संगरोध अधिकारी द्वारा उसका संपूर्ण निरीक्षण किया जाए लेकिन यह इसके संगरोध सुविधा केन्द्र के लिए प्रेषण से पूर्व होनी चाहिए। संगरोध स्थल तक खेप के पहुंचने तक संगरोध स्टाफ खेप के साथ रहेंगे तथा एल वन्नमेई के आयात के लिए अनुमति के नियम व शर्तों के अनुपालन तथा खेप के ठीक हालत में प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी ए ए) तथा केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीबा) के प्रतिनिधियों के समक्ष खेप को निर्धारित स्थान पर खोला जाना चाहिए।
- संगरोध सुविधा केन्द्र स्थित तालाबों में छोड़े जाने से पूर्व आयातित झींगों के नमूनों को एकत्र किया जाए।
- विदेशी बूडस्टॉक को हवाई अड्डे से संगरोध केन्द्र तक लाने ले जाने में प्रयुक्त वाहनों को जन्तुओं को संगरोध तक स्थानान्तरित करने के बाद तत्काल संदूषण रहित किया जाएगा तथा दुलाई में प्रयुक्त कनस्तर को सी ए ए द्वारा नामित टीम की देखरेख में नष्ट कर दिया जाए।
- झींगा बूड स्टॉक के मामले में न्यूनतम दस दिनों की संगरोध अवधि को कायम रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेप रोगमुक्त है तथा इससे किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है।
- संगरोध में बूडरों की सभी ज्ञात पैथोजन के लिए ओआईई द्वारा निर्धारित पद्धतियों माध्यम से सी. आई. बी. ए. द्वारा जांच की जाएगी। बूडरों के स्वास्थ्य की निगरानी प्रतिदिन की जाएगी तथा दृश्य परिवर्तनों को रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा। किसी मृत्यु की स्थिति में, उसे अलग रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा। मृतप्राय अथवा कमजोर दिख रहे पशुओं को आगे रोग निरीक्षण के लिए एथनॉल तथा फार्मेलीन में सुरक्षित रखा जाएगा।
- संगरोध अवधि के दौरान बूडरों को किसी प्रकार का जीवित आहार नहीं दिया जाए। पैथोजन की जांच के बाद ही पोषण के लिए मानक कंपनियों के केवल गोली अथवा गुटखा आकार वाले आहार उपयोग में लाए जाएंगे। संगरोध पद्धतियों के अनुसार शेष बचे तथा मेटाबोलिक अवशिष्टों को तत्काल हटाया जाएगा।
- संगरोध सुविधा केन्द्र में 1:2000 $KMnO_4$ (पोटेशियम परमैंगनेट) के रोगाणुनाशी स्नानघर को कायम रखा जाए तथा भीतर और बाहर आने जाने वाले सभी लोगों को स्नानघर में अपने हाथ पांव धोने चाहिए।
- संगरोध के आरंभिक दस दिनों के दौरान यदि कोई विदेशी रोग पाया जाता है, तो सारे बूड स्टॉक को नष्ट कर दिया जाएगा।

- संक्रमित स्टॉक को नष्ट करने के लिए संगरोध में एक उपयुक्त भस्मक लगाया जाए।
- संगरोध से स्वीकृति के बाद आयातित बूड स्टॉक को आयातक को सौंप दिया जाएगा।

5.0. विसंक्रमण की पद्धतियां

क) अपशिष्ट का विसंक्रमण

- संगरोध/हैचरियों से निकलने वाले सभी दूषित जल को क्लोरीन से विसंक्रमित किया जाए तथा इसके बाद इसे छोड़े जाने के पूर्व विक्लोरीकृत किया जाएगा। अपशिष्ट उपचार प्रणाली(ई टी एस) को संगरोध में प्रयुक्त जल की कुल मात्रा से निपटाने के लिहाज से डिजाईन किया जाए।

ख) भस्मीकरण द्वारा जन्तुशव का निपटान

- मृत जन्तुओं को भस्म कर दिया जाएगा।

ग) उपकरणों का विसंक्रमण

- उपकरणों के विसंक्रमण के लिए 200 पी पी एम मुक्त क्लोरीन का उपयोग रातभर किया जाए।

घ) भवनों का विसंक्रमण

- भवनों के विसंक्रमण के लिए प्रति 100 क्यूबिक फुट क्षेत्र के लिए 17.5 ग्राम पोटेशियम परमैंगानेट तथा 35 मी० ली० 37% जलीय फार्मलीन का उपयोग किया जाए।

[फा. सं. 35029/4/2008-मा.(टी एंड ई)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2008

S.O. 2482(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) as amended by Livestock Importation Act, 2001 (Act 28 of 2001), the Central Government hereby notifies the guidelines regulating the method of operation of aquatic quarantine for the import of *Litopenaeus vannamei* into India as per the schedule annexed to this notification:

SCHEDULE**1.0 Bio-security requirements for the quarantine**

- The quarantine facility should have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorized persons.
- Each functional unit of the quarantine should have independent water treatment facility and water supply systems, and should be isolated from the water supply systems of other functional units.
- Water for the quarantine should be filtered and treated to prevent entry of vectors and any pathogens that may be present in the source water. This may be achieved by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters into the first reservoir or settling tank. Following primary disinfection by chlorination, and after settlement, the water should be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet(UV) light and/or ozone.
- The discharged water from the quarantine should be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than 60 min) or other effective disinfectant prior to discharge. This is particularly crucial where the water is to be discharged to the same location as the abstraction point.
- Entrance to the quarantine area should be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility should be maintained by the security personnel.
- Quarantine unit staff should enter through a shower/dressing room, where they remove their street clothes and take a shower before going to another dressing room to put on working clothes and boots. At the end of the working shift, the sequence should be reversed.
- There should be means provided for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate) feet (footbaths containing hypochlorite solution at >50 ppm active ingredient) and hands (bottles containing iodine-PVP (20 ppm and/or 70% alcohol) to be used upon entering and exiting the unit.
- An adequate number of containers should be available in the quarantine to facilitate effective daily routine movement of shrimp in and out of the facility.
- The quarantine facility should have an independent supply of water and air with separate treatment and disinfection systems and a system for the treatment of effluents to prevent the potential escape of pathogens into the environment.
- The seawater to be used in the facility must be directed to a storage tank where it will be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than 30 minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) and strong aeration.
- Used plastic containers and hoses must be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before reuse.
- Each holding tank should have a separate set of implements which must be clearly marked and placed near the tanks. Facilities for disinfection of all equipment at the end of each day should be available.

2.0 Import Permit and Port of entry

- Permission for importing the broodstock of *L. vannamei* shall be granted by the Coastal Aquaculture Authority (CAA) according to the annual requirement of Specific Pathogen Free (SPF) *L. vannamei* broodstock to the eligible applicants.

4032 4/08-3

- The CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and Marine Products Export Development Authority (MPEDA) shall short-list the SPF *L. vannamei* suppliers based on the genetic base and disease status. Import of SPF broodstock shall be permitted only from such suppliers.
- Chennai shall be the designated port of entry for the import of SPF broodstock.

3.0 Pre-border quarantine requirement

- The following certificates in original, issued by the competent authority of the exporting country should accompany the consignment of SPF broodstock and copies of the certificates should be made available to the quarantine officer at least 2 days before arrival of the consignment.
 - A certificate indicating the SPF status of the broodstock in relation to the pathogens excluded in the shrimps.
 - A certificate indicating the history of disease occurrence in the broodstock rearing facility of the exporter for the last two years.
 - A certificate indicating that the batch of exported broodstock was held in pre-quarantine for a period of 12 days and the results of the tests for the following pathogens should be included.
 1. Taura syndrome virus (TSV) (OIE listed)
 2. Yellowhead virus (YHV) (OIE listed)
 3. Infectious myonecrosis virus (IMNV) (OIE listed)
 4. Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) (OIE listed)
 5. *Baculovirus penaei* (BP) (OIE listed)
 6. White spot syndrome virus (WSSV) (OIE listed)
 7. Necrotising hepatopancreatitis bacterium α -Proteobacterium (NHPB)¹
 - The testing should have been done not earlier than 10 days before the actual shipment.
- Before shipment, detailed information on the actual quantity/number of broodstock to be imported should be furnished in the form of package slip indicating the number of cartons they are packed in.

4.0 Quarantine requirements

- The importers should book their space in the quarantine facility well in advance by providing copies of the relevant documents to the Animal Quarantine Officer and paying the requisite fees as may be fixed by the Ministry of Agriculture (Department of animal Husbandry, Dairying & Fisheries).
- Clearance of the consignment of SPF broodstock at the airport, its transportation to quarantine facility alongwith the quarantine staff, maintenance at the quarantine facility and repacking and transportation to the hatcheries shall be the responsibility of the importer.
- The packing materials should be of good quality in order to avoid any accidental damage.
- The space in the carton should comply with acceptable densities specified for *L. vannamei*.
- The consignment should not be opened at any transit point. If it is found to be tampered, the entire consignment shall be rejected and the animals destroyed.
- The importer shall receive the consignment only at Chennai.
- Precautions should be taken to prevent spillage of water and damage to the containers during transportation.

¹ This pathogen is presently under study for inclusion in OIE list.

- In the event of any accidental spillage of water during transport, the importer shall ensure the decontamination of water using OIE approved disinfecting procedures.
- There shall be a gross inspection of the consignment on arrival by the Animal Quarantine Officer but before its despatch to the quarantine facility. The quarantine staff may accompany the consignment till it reaches the quarantine site and the consignment will be opened at the specified site in the presence of the representatives from Coastal Aquaculture Authority (CAA) and Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) to ensure that the supply has been received in good condition and as per the terms and conditions of the permission for import of *L. vannamei*.
- The samples from the imported shrimp should be collected before releasing them into the tanks at the quarantine facility.
- The vehicles used for transport of the exotic brood stock from the airport to the quarantine facility shall be disinfected immediately after the transfer of the animals to the quarantine and the containers used for the transport will be destroyed under supervision of the team as may be designated by the CAA.
- A minimum quarantine period of ten days in case of shrimp brood stock shall be observed to ensure that the consignment is free of diseases and poses no risk.
- The brooders in the quarantine will be tested by CIBA for all known pathogens through OIE prescribed methodologies. The health of the brooders shall be monitored everyday and the visual changes recorded in a register. Mortality, if any, shall be recorded in a separate register. The moribund or visibly weak animal shall be preserved in ethanol and formalin for further disease investigations.
- No live feed shall be given to the brooders during the quarantine period. Only pelleted feed of standard companies shall be used for feeding after check for any pathogen. The leftovers and metabolic wastes should be removed immediately as per the quarantine procedures.
- Disinfectant bath of 1:2000 KMnO₄ should be maintained in the quarantine facility and all persons entering or leaving should wash their hands and feet in the bath.
- During the initial ten days period of quarantine, if any exotic disease is observed the entire brood stock should be destroyed.
- An appropriate incinerator should be installed in the quarantine for destroying the infected stock.
- After clearance from the quarantine, the imported broodstock shall be handed over to the importer.

5.0 Disinfection methods

A) Effluent Disinfection

- All waste waters released from the quarantine/ hatcheries should be disinfected with chlorine and then dechlorinated before release. The Effluent treatment System (ETS) should be designed to handle the total water volume used in the quarantine.

B) Carcass disposal by incineration

- The dead animals shall be incinerated.

C) Disinfection of equipments:

- 200 ppm of free chlorine shall be applied overnight for disinfection of equipment.

D) Disinfection of Buildings:

- 17.5 gm potassium permanganate and 35 ml of 37% aqueous formalin per 100 cubic feet area should be used for disinfection of building.

[F. No. 35029/4/2008-Fy. (T&E)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.